





कब ना होगी कोई भूल सरिता रोज जाएगी स्कूल





स्कूल से लौटते हुए माधव और मुस्कान बातें कर रहे हैं, पीछे से आशा दीदी आ रही हैं -









पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे:



जेण्डर की दृग्गच्छ



- माधव को क्यों शक था कि घरवाले सरिता को स्कूल नहीं भेजेंगे ?
- आशा दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि लड़कियों को खाने और पढ़ने की नहीं घर के कामों की चिंता रहती है ? यह चिंता लड़कों को क्यों नहीं होती ?




लैंगिक भेदभाव



- सरिता का भाई मोनू घर के काम व जिम्मेदारियां क्यों नहीं बांटता ?
- स्कूल न जाने और भरपेट न खाने से सरिता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
- सरिता की मां ने ऐसा क्यों कहा कि मोनू घर के काम नहीं बाहर के काम करेगा ?

याद रखने वाले मुख्य संदेश

जेण्डर की द्वन्द्वता



- ❖ प्राकृतिक रूप से महिला व पुरुष की थारीरिक संरचना में कुछ जैविकीय अंतर हैं। इन्हें लिंग कहा जाता है।
- ❖ जबकि सामाजिक रूप से महिला व पुरुष को दी गई भूमिकाएं व जिम्मेदारियां जेण्डर कहलाते हैं।
- ❖ हमारे जैविक या सामाजिक भेद के बावजूद हम समान हैं और हम सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं।

लैंगिक भेदभाव



- ❖ हमारे समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। जबकि समाज में महिला व पुरुष दोनों की संख्या लगभग समान है।
- ❖ कई लोगों का विचार है कि लड़के लड़कियों से श्रेष्ठ होते हैं। इस भेदभाव की जड़ में कुछ धारणाएं हैं। इससे उत्पन्न भेद कई तरह से सामने आते हैं। जैसे- लड़कियों को पेटभर भोजन न देना, उन्हें स्कूल न भेजना, कम उम्र में ही उन पर घर के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना, उन्हें खेलने के अवसर न देना, उन्हें निर्णय न लेने देना, उन पर रोक-टोक लगाना आदि।
- ❖ समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भेदभाव से लड़कियों के विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं और इससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ❖ हमारा प्रयास हो कि समाज में लड़के-लड़की, महिला-पुरुष में किसी तरह का भेदभाव न हो। सभी को विकास के समान अवसर मिलें।
- ❖ लिंग आधारित प्रचलित मान्यताओं को बदलना एक कठिन कार्य है। इसके लिए पहले हमें अपनी और परिवार की मान्यताओं को बदलना होगा। यह धीमी गति से होनेवाला परिवर्तन है। परिवार व समाज में बदलाव लाने के लिए धैर्य की जयरात होगी।




भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- ❖ आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- ❖ स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्दों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- ❖ आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरूरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- ❖ किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- ❖ बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- ❖ हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- ❖ धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

पहला अंक



दूसरा अंक



तीसरा अंक



चौथा अंक



पांचवां अंक



छठा अंक

